



63

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर १ मण्डल

उत्तरांचल शाखा
PBHR दिसांगबाद/भू.सं./2017/4334

1. महेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. श्री जमनाप्रसाद गुप्ता
उम्र लगभग 70 वर्ष,
2. उर्मिलाबाई पुत्री जमनाप्रसादगुप्ता, उम्र लगभग 66 वर्ष
3. गीता गुप्ता पुत्री स्व. श्री जमनाप्रसाद गुप्ता पत्नी
श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, निवासी वार्ड क्र. 1, पुरानी
इटा रसी, तहसील इटा रसी, जिला- होशंगाबाद मण्डल पुनरीक्षण कर्ता गण

श्री संजय प्रियंका
अभिजातबाबू
दसरोबाबा
पुत्र

20/11/17
श्री

बनाम

1. संतोष गुप्ता उम्र लगभग 67 वर्ष,
2. सतीश गुप्ता उम्र लगभग 65 वर्ष,
3. देवेन्द्र गुप्ता उम्र लगभग 52 वर्ष,
एक लगायत 3 पुत्रगण सा लिंगराम गुप्ता,
पुत्रात् नरसरी
निवासी ग्राम ब्यावरा, तहसील व जिला होशंगाबाद
4. श्रीमति चित्रा गुप्ता पत्नी श्री लव गुप्ता पुत्री
स्वर्गीय सा लिंगराम गुप्ता, उम्र लगभग 60 वर्ष
5. शरद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. सा लिंगराम गुप्ता
उम्र लगभग 62 वर्ष
6. श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी विजयकुमार गुप्ता
पुत्री सा लिंगराम गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष
चार लगायत 6 निवासी आज्ञाद्वारा हा,
इटा रसी, तहसील इटा रसी, जि. होशंगाबाद मण्डल
- श्री. पद्मावती गुप्ता पुत्री स्व. भगूलाल गुप्ता
उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी- गुप्ता पटाछा
भंडार के सामने कांडली रोड परतवाड़ा,
तहसील पुर. अवलपुर, जिला अमरावती महाराष्ट्र उत्तरवादी गण

M.C. Gupta

उर्मिला गुप्ता

गीता गुप्ता
अवलपुर 28

पुनरीक्षण या चिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

पुनरीक्षणकर्ता गण अधिपस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार इटारसी & रामपुरसर्किल जिला हांशंगाबाद म.प्र. के राजस्वप्रकृ 8/ए-27/2016-17 ग्राम की रतपुर, जिसमें पक्षकार संतोष गुप्त वगैरह विरुद्ध महेशचन्द्र गुप्तावगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 से क्षुब्ध एवं दुःखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है।



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4334

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संजय त्रिपाठी व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 अधिवक्ता श्री जी0डी0अग्रवाल तथा अनावेदक क्रमांक 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्रीममता नागेश व अनावेदक क्रमांक 5 की ओर से श्री राजेश चौरे अधिवक्ता एवं अनावेदक क्रमांक 7 की ओर से श्री ओ0पी0यादव अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>